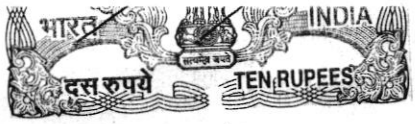

(83) (82)

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /२०१७

निगरानी प्रकरण क्रमांक ३१४७-पीबीआर/२०१५

न्यायालय :- श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
PBR/पुनर्विलोकन/इंदौर/भू.रा/2017/4616

मेसर्स राजश्री हाईवे डेवलपर्स तर्फे पार्टनर
१- सिद्धार्थ पिता एम.के. जैन
२- तुषार पिता सुरेश चोपडा
पता २७२/३ साजन नगर इन्दौर .... आवेदक

विरूद्‌ध

१- कुदरत पिता स्व. आलम पटेल
निवासी- ग्राम सोनवाय तहसील महू जिला इंदौर

२- प्रदीप पिता किशनलाल
निवासी- १४ बडा सराफा इन्दौर

३- दीपेशकुमार पिता दिलीपकुमार
निवासी- सांठा बाजार इन्दौर

४- श्रीमती अंशु जैन पति मिकेश जैन

५- श्रीमती निधी जैन पति श्री ऋषभजी जैन
दोनो निवासी ६ जानकी नगर एनेक्स इन्दौर ...अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र धारा ५१ म.प्र. भु-राजस्व संहिता के अन्तर्गत

आवेदक की विनंती है कि :-

१/ यह कि आवेदक की और से एक निगरानी प्रकरण क्रमांक ३१४७-पीबीआर/२०१५, न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इन्दौर व्दारा प्रकरण क्रमांक १२८/अपील/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक ६/८/२०१५ के विरूद्‌ध प्रस्तुत की गई थी । उक्त निगरानी याचिका माननीय राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक ११/१०/२०१७ को निरस्त की गई हैं ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/रिव्यु/इंदौर/भूरा/2017/4616

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-9-18	उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा ग्राम कवटी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 142/3 पंजीकृतविक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किये जाने कारण उनका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 23-3-11 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 2 व 3 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने उनके द्वारा दिनांक 20-6-13 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 6-8-15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 11-10-17 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का आदेश यथावत रखते हुये निगरानी निरस्त की गई। इस न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायलय में प्रस्तुत किया गया है । 2/ प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने के उपरांत अभिलेख से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-2-2016 पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11-10-2017 को आदेश पारित करते समय विचार करने से रह गया था, जिसके प्रकाश में प्रकरण में पुन: विचार करना आवश्यक है । अत: इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 3147-पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 11-10-17 निरस्त किया जाता है । मूल निगरानी प्र.क्र. 3147-पीबीआर/15 पुन: गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया जाता है । अध्यक्ष	